न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 513/2006
दायर दिनांक :– 04.04.2006

अनवान

1. सूरजमल पिता रामनाथ कीर नि. हरिपुरा (फौत)
2. रतनलाल पिता सूरजमल कीर नि. हरिपुरा (फौत)
   2/1 श्रीमति सन्तरा बेवा रतन लाल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
   2/2 दिनेश पुत्र रतनलाल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
   2/3 सीमा पुत्री रतनलाल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
   2/4 सम्पत पुत्र रतनलाल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
   2/5 प्रियंका पुत्री रतनलाल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
3. कालू पिता सूरजमल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
4. रामधन पिता सूरजमल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
5. धन्नालाल पिता सूरजमल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर

वादीगण/अप्रार्थीगण.....

बनाम

1. प्रहलाद पिता राधाकिशन कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
2. राधाकिशन पिता रामनाथ कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा. दी ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री अमित बिडला, एडवोकेट वादीगण/अप्रार्थीगण
2. श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1/प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 03.08.2022

प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी सं0 1 ने पेश कर निवेदन किया कि वादी ने माननीय न्यायालय शाहपुरा के यहा राधाकिशन, सुरजमल, तहसीलदार जहाजपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए रा. टे. एक्ट दावा किया जिसके मुकदमा नं. 150/93 थे उक्त वाद में 5.5.2002 को निर्णय पारित किया व निम्न डिकी पारीत की। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी के इस आशय की जारी की

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

जाती है कि ग्राम हथोडिया के आ. सं. 619 रकबा 11 बिस्वा, आ.सं. 622 रकबा 18 बिस्वा, आ. सं. 625 रकबा कुल किता 3 रकबा 1–12 बीघा भूमि एवं ग्राम जीरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा में स्थित आ. सं. 370 रकबा 5–14 बीघा आ. सं. 595 रकबा 2 बीघा आ. सं. 599 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 5–17 बीघा भूमि का वादी खातेदार घोषित किया जाता हैं। तत्पश्चात आर. ए. ए. में अपील पेश की कब्जे की दाद हेतु आर ए ए पत्रावली वापस रिमाण्ड की पूर्व का फैसला यथावत रखते हुए केवल 183 रा. टे एक्ट के बिन्दु पर दोनो पक्षो को सुन निर्णय पारीत करने हेतु प्रेषित किया। वाद में साक्ष्य होने पर निर्णय पारित किया वह वादी प्रहलाद को प्रतिवादी सुरजमल, राधाकिशन से 1/3 हिस्सा दिलाने की डिकी दी। वादी सुरजमल ने उसकी अपील नही की। यह अब न्यायालय से पुराने सभी तथ्य को छिपा कर कपटपुर्वक नया दावा पेश किया हैं उक्त तथ्यो द्वारा तय किये जा चुके हैं एवं उक्त दावा उन्ही पक्षकारों व उन्ही तथ्यों पर नही हो सकता है। अतः वादी का दावा खारीज फरमावे।

अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रार्थीगण/वादीगण को दी जाकर शा0 फा0 किया गया। वकील प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी सुरजमल मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति था जिसे अपने भले बुरे का कोई ज्ञान नही था और उसी का नाजायज फायदा उठाकर प्रहलाद ने अपने पिता राधाकिशन से मिली भगत कर न्यायालय के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत कर गलत डिकी हासिल की और इसी वजह से श्री प्रहलाद के पिता राधाकिशन ने दिनांक 30.06.06 को एक समझोता प्रपत्र लिखा उस पर अपनी अगुंठा निशानी की व प्रहलाद ने भी उस पर अपनी अगुंठा निशानी की तथा समझोता प्रपत्र को नोटेरी पब्लिक जहाजपुर से तस्दीक करवाया वादीगण ने सुरजमल के मानसिक रूप से कमजोर होने तथा पूर्व मे हुये निर्णय जो कि प्रहलाद ने धोखे से लिये है उसके बारे में भी अपने वाद में अंकित किया हैं यह है कि इस वाद मे पूर्व के वाद में जो पक्षकारान थे उनके अलावा भी अन्य पक्षकारान भी है और इस कारण पूर्व न्याय का सिद्वान्त इस पर लागु नही होता हैं अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

वकूलाय फरिकेन की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा. दी पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने दौराने वहस प्रार्थना पत्र/जवाब के तथ्यों को दोहराया। वादी के अधिवक्ता ने इसके अतिरिक्त यह बताया कि प्रकरण सं. 150/93 का निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया था जिसकी वजह से पूर्व न्याय का सिद्वान्त लागू नही होता है। वर्तमान वाद में पूर्व के वाद के पक्षकारो के अलावा अन्य पक्षकार भी है जिससे पूर्व न्याय का सिद्वान्त लागू नही होता है।

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के प्रकरण सं. 150/93 प्रहलाद वनाम राधाकिशन के वाद पत्र की प्रति एवं प्रकरण सं. 150/93 के निर्णय दिनांक 05.05. 2000 की प्रति व डिकी की प्रति तथा उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के प्रकरण सं. 79/2001 के आर्डरशीट की आंशिक प्रतिलिपी एवं प्रकरण सं. 79/2001 के निर्णय दिनांक 06.10.04 एवं डिकी दिनांक 06.10.04 की प्रति पेश की। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि वर्तमान वाद में उठाया गया विवादक विषय पूर्ववर्ती वाद सं. 150/93 और 79/2001 मे सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण करने और सुनने के बाद अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। वादीगण द्वारा प्रहलाद के पिता राधाकिशन द्वारा दिनांक 30.06.06 को एक समझौता प्रपत्र लिखा है, परन्तु वह अप्रांसागिक है क्योंकि दोनों ही पूर्व वादों को इस दिनांक से पूर्व ही निर्णीत किया जा चुका था। प्रकरण सं. 150/93 में उक्त निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया था। परन्तु एक पक्षीय डिकी भी पूर्व न्याय के सिद्वान्त के लागू होने के लिए पर्याप्त है क्योकि एक पक्षीय डिकी मेरिट पर की हुई डिकी मानी जाती है। सुरजमल जो कि पूर्व वाद में प्रतिवादी था के अलावा सुरजमल के ही वारिसान वर्तमान वाद में वादीगण के तौर पर शामिल है। अतः पक्षकार भिन्न होने से इस प्रकरण में पूर्व न्याय के सिद्वान्त लागू होने पर कोई प्रभाव नही पडता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर वाद पत्र खारिज किया जावे।

हमने वकूलाय फरिकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। सी पी सी धारा 11 में निम्नलिखित प्रावधान है।

" कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाघक का विचारण नही करे जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाघक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच मे जिनसे व्युत्पन अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद मे भी ऐसे न्यायालय मे प्रत्यक्षतः और सारतः विवाघ रहा है, जो ऐसे पश्चातव्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमे ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। "

उपरोक्त प्रावधान अनुसार इस न्यायालय को मुख्य तौर पर यह देखना है कि क्या वर्तमान वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः उठाया गया विवाद विषय पूर्ववर्ती वाद सं. 150/93 और 79/2001 मे सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण करने और सुनने के बाद अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।

वाद सं. 150/93 में प्रहलाद पिता खाना द्वारा पेश वाद पत्र एवं उपरोक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय दिनांक 05.05.2000 की प्रतिलिपी से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादी प्रहलाद पिता खाना कीर द्वारा वादी के पिता खाना की कब्जे काश्त आ. सं. 619, 622, 625 ग्राम हथोडिया एवं आ. सं. 370, 595, 599 ग्राम जीरा पर मृतक खाना का तन्हा उत्तराधिकारी व वारिस होने के कारण स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करने की दाद चाही गई थी। प्रतिवादी सं. 2 सुरजमल पिता रामनाथ कीर के विरूद्व बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 24.08.94 को एकतरफा कार्यवाही की गई थी। प्रकरण में विचारण न्यायालय ने श्री प्रहलाद को खाना का वारिश मानते हुए विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के प्रकरण सं. 79/2001 के निर्णय दिनांक 06.10.04 से स्पष्ट है की प्रकरण सं. 150/93 की न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर मे अपील होने पर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

अपील के निर्णय से वादी द्वारा प्रतिवादीगण की बेदखली के अनुतोष पर सभी पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। जिसकी सुनवाई के दौरान प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया। उक्त प्रकरण के निर्णय द्वारा वादी प्रहलाद पिता खाना कीर के विवादित आराजी में 1/3 हिस्से से प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाकर वादी को कब्जा दिये जाने के आदेश दिये गये।

वर्तमान वाद में वादी सुरजमल एवं उसके वारिसान द्वारा विवादित आराजी मे प्रतिवादी सं. 1 प्रहलाद का नाम विलोपित कर 1/2 हक व हिस्से की भूमि को वादीगण व 1/2 हिस्से को प्रतिवादी सं. 2 राधाकिशन कीर के नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है। जिसमें वादीगण द्वारा मुख्य कारण यह बताया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 प्रहलाद ने प्रतिवादी सं. 2 राधाकिशन से मिलकर षडयंत्र पूर्वक अपने आपको खाना का पुत्र बताते हुए एवं धोखे से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी से डिकी प्राप्त करके जरिये नामान्तरण विवादित आराजी को गलत तरीके से अपने नाम करा लिया है।

मेरी विनम्र राय में वर्तमान वाद में मुख्य matter in issue यह है कि क्या प्रहलाद खाना कीर का वारिश है या नही, परन्तु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के प्रकरण सं. 150/93 में भी सारतः यही बिन्दु matter in issue था जिसमे उक्त न्यायालय ने प्रहलाद को खाना का वारिश मानते हुए ही प्रहलाद के पक्ष में डिकी जारी की थी। प्रकरण सं. 150/93 में उक्त निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया था। परन्तु एक पक्षीय डिकी भी पूर्व न्याय के सिद्वान्त के लागू होने के लिए पर्याप्त है क्यो कि एक पक्षीय डिकी मेरिट पर की हुई डिकी मानी जाती है। साथ ही उक्त प्रकरण की अपील भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के यहां की गई थी जिसमे कुछ बिन्दु विशेष पर ही अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण रिमाण्ड कर भेज गया था जिसमें भी अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 79/01 के तहत दिनांक 06.10.04 को निर्णित कर दिया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्व अधिवक्ता वादीगण द्वारा कोई अपील किया जाना नहीं बताया है। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रहलाद के पिता राधाकिशन द्वारा दिनांक 30.06.06 को एक समझौता प्रपत्र लिखा जाना बताया है, परन्तु वह अप्रांसागिक है क्योंकि दोनों ही पूर्व वादों को इस दिनांक से पूर्व ही निर्णीत किया जा चुका था। वर्तमान वाद पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सुरजमल जो कि पूर्व वाद में प्रतिवादी था के अलावा सुरजमल के ही वारिसान वर्तमान वाद में वादीगण के तौर पर शामिल है। अतः पक्षकार भिन्न होने से इस प्रकरण में पूर्व न्याय के सिद्वान्त लागू होने पर कोई प्रभाव नही पडता है।

अतः मेरी विनम्र राय में पूर्ववर्ती वाद व वर्तमान वाद दोनो में सारतः matter in issue यही है कि क्या प्रहलाद खाना कीर का वारिश था या नही, जिसे पूर्ववर्ती वाद सं. 150/93 में तय करते हुये ही उस वाद पत्र को निर्णित किया गया था।

उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वाद पत्र पर पूर्व न्याय का सिद्वान्त लागू होता है अतः प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा. दी. स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

अतः प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा. दी. स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारीज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

1. सूरजमल पिता रामनाथ कीर नि. हरिपुरा (फौत)
2. रतनलाल पिता सूरजमल कीर नि. हरिपुरा (फौत)
   2/1 श्रीमति सन्तरा बेवा रतन लाल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
   2/2 दिनेश पुत्र रतनलाल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
   2/3 सीमा पुत्री रतनलाल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
   2/4 सम्पत पुत्र रतनलाल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
   2/5 प्रियंका पुत्री रतनलाल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
3. कालू पिता सूरजमल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
4. रामधन पिता सूरजमल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
5. धन्नालाल पिता सूरजमल कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर

वादीगण / अप्रार्थीगण.....

बनाम

1. प्रहलाद पिता राधाकिशन कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
2. राधाकिशन पिता रामनाथ कीर नि. हरिपुरा तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण.....

दावा बाबत – 88, 89, 53, 92 ए, 188 आर. टी. ए.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा. दी

प्रकरण संख्या :– 513 / 2006

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अमित बिडला का मिनजानिब मुदई व श्री रितेश कांटिया का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा. दी. स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारीज किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.08.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner